कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 10/07/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 09.07.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जंगीपुर व थाना बिरनो पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने वाले शातिर बदमाशों को 12 घण्टे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद जिन्दा कारतूस व लूट की हुई चाँदी की धातु बरामद ।

दिनांक 09.07.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में थानाध्यक्ष जंगीपुर मय टीम मदारपुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे कि सामने से एक मोटरसाइकिल पर 03 व्यक्ति बिना हेलमेट मोहम्मदपुर की तरफ से चले आ रहे थे। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पुलिस टीम पर चढ़ने का प्रयास करते हुए बघोल की तरफ भागने लगे । थानाध्यक्ष जंगीपुर द्वारा उक्त व्यक्तियों का पीछा करते हुए जरिये आरटी सेट कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए जरिये दूरभाष थानाध्यक्ष बिरनो को सूचित कर उक्त व्यक्तिओं को सामने से घेराबंदी कर पकड़ने के लिए कहा गया। सूचना को सही मानते हुए थानाध्यक्ष बिरनो मय टीम द्वारा उक्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। बघोल पुलिया पर सामने से खुद को घिरा देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से देशी तमंचे से 02 राउंड फायर किया गया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया तो दो बदमाशों के पैरो में गोली लगी व एक अन्य बदमाश मौके से भागने में सफल रहा । घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल सदर भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पुलिस टीम पर गोली चलाने का कारण पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि सर हम लोगों ने जंगीपुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को कारित किया है। पकडे न जाये, इसलिए फायर किये।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

01. राजा चौहान पुत्र हरिद्वार चौहान ग्राम छपरी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

02. शिवम् चौहान उर्फ़ परमहंस पुत्र रविंद्र चौहान ग्राम चैनपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

राजा चौहान पुत्र हरिद्वार चौहान ग्राम छपरी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 120/2020 धारा 308, 323, 325, 504 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 136/2022 धारा 147, 324, 325, 427 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 225/2022 धारा 120B, 392, 411 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 228/2022 धारा 379, 411 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 229/2022 धारा 307, 34 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 147/2022 धारा 120B, 394 भादवि थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 0008/2024 धारा 392, 411 भादवि थाना बिरनो जनपद गाजीपुर
8. मु0अ0सं0 0041/2024 धारा 34, 392, 411 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
9. मु0अ0सं0 0047/2024 धारा 307, 34, 411, 413, 414, 420 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
10. मु0अ0सं0 0049/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
11. मु0अ0सं0 0135/2025 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर
12. मु0अ0सं0 0136/2025 धारा 109(1) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

शिवम् चौहान उर्फ़ परमहंस पुत्र रविंद्र चौहान ग्राम चैनपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 0008/2023 धारा 120B, 392, 411 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 0010/2023 धारा 307, 504 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 0013/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 0257/2023 धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 0257/2023 धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 0041/2024 धारा 34, 392, 411 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
7. मु0अ0सं0 0047/2024 धारा 307, 34, 411, 413, 414, 420 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
8. मु0अ0सं0 0048/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
9. मु0अ0सं0 0135/2025 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर
10. मु0अ0सं0 0136/2025 धारा 109(1) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी -

1. 2 अदद देसी तमंचा 315 बोर
2. 2 अदद खोखा कारतूस
3. 2 अदद जिन्दा कारतूस
4. 1 अदद मोटरसाइकिल
5. लूट किया हुआ चाँदी की धातु (415 gm)

02. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरो की गिरफ्तारी करते हुए चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.07.2025 को वादी श्रीकेश तिवारी पुत्र अवधेश नरायण तिवारी निवासी इन्द्रपुर छिडी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर की मो0सा0 नं0 UP61J0939 जिला अस्पताल गाजीपुर से चोरी हो जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 501/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम पंजीकृत किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा घटना उपरोक्त की दौराने विवेचना, घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्तगणो की पहचान कर घटना का सीसीटीवी के माध्यम सेअनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1.रामप्रवेश साहनी पुत्र गौरीशंकर साहनी निवासी आदर्श बाजार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष 2.कुन्दन बिन्द पुत्र दरबारी बिन्द निवासी भटौली थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम भटौली के पास से गिरफ्तार किया गया एवं जिसके पास से मु0अ0स0 501/2025 की चोरी हुई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणो के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.रामप्रवेश साहनी पुत्र गौरीशंकर साहनी निवासी आदर्श बाजार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष

2.कुन्दन बिन्द पुत्र दरबारी बिन्द निवासी भटौली थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास -1. रामप्रवेश साहनी पुत्र गौरीशंकर साहनी निवासी आदर्श बजारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

मु0अ0सं0 501/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास – 2. कुन्दन बिन्द पुत्र दरबारी बिन्द निवासी भटौली थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

मु0अ0सं0 267/2021 धारा 354, 376, 504 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

बरामदगी –

1. मो0सा0 नं0 UP61J0939 चेचिस नम्बर MBLHA10EL8GB57758 इंजन नम्बर HA10EB8GB59925

03. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.07.2025 को वादी श्री जगरनाथ राम पुत्र विक्रमा राम निवासी चक-जाफर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 497/2025 धारा 137(2),351(2) बीएनएस बनाम मिथिलेश कुमार उर्फ सूरज पुत्र सुभाष राम निवासी चकजाफर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पंजीकृत किया गया था।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की दौराने विवेचना अपहृता की बरामदगी कर लंका बस स्टैण्ड के पास से दिनांक 09.07.2025 को अभियुक्त मिथिलेश कुमार उर्फ सूरज पुत्र सुभाष राम निवासी चकजाफर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर उक्त मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

1. मिथिलेश कुमार उर्फ सूरज पुत्र सुभाष राम निवासी चकजाफर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 497/2025 धारा 137(2),351(2),64(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

04. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ग्राइन्डर डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगो को जोडकर दोस्ती करने व अश्लील वीडियो बनाकर उनको गुमराह करके डरा-धमकाकर अवैध पैसों की वसूली करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 08.07.2025 को वादी श्री रामप्रसाद गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी नोनहरा,जनपद गाजीपुर हाल पता रजदेपुर तेलपुरवा थाना कोतवाली, जिला-गाजीपुर को नौकरी दिलाने के नाम पर एक एप्प से जोड़ना तथा अपने जाल में फंसाना तथा नौकरी की बात को लेकर अभियुक्त कुणाल पाण्डेय अपने घर मुहल्ला नियाजी थाना कोतवाली गाजीपुर बुलाकर मार पीटकर दूसरे लड़के से फिजिकल रिलेशन बनाने हेतु कहना तथा मना करने पर मारना पीटना व वीडियो बनाना व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10000 रूपये मांगना तथा वादी द्वारा अपने दोस्त अश्विनी को फोन कर अभियुक्त कुणाल के एकाउण्ट में 5000 रूपये ट्रांसफर कराने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 506/2025 धारा 115(2), 308(5), 318(2), 351(3) बीएनएस बनाम 1. कुणाल पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी नियाजी थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली द्वारा दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त से संबधित अभियुक्त कुणाल पाण्डेय उपरोक्त को फुल्लनपुर क्रासिंग के पास से दिनांक 09.07.2025 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -</u>

कुणाल पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी नियाजी थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर उम्र करीब 29 वर्ष

<u>विवरण पूछताछ</u> - अभियुक्त से पूछताछ करने पर बता रहा है कि मैं सौरभ कश्यप निवासी मियापुरा थाना कोतवाली गाजीपुर व अन्य साथियों के साथ मिल कर अपने तथा अपने साथियों के मोबाइल में ग्राइन्डर डेटिंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके खोलने पर आस पास के लोगों से दोस्ती कर उनको धोखा देकर उनसे जुड़ जाता हूं तथा बाद में उनको बुलाकर हमलोग उन्हें अश्लील वीडियो बनाकर उनको गुमराह करके डरा-धमकाकर अवैध पैसो की वसूली करते हैं। साहब मैने रामप्रसाद गुप्ता निवासी रजदेपुर तेलपुरवा,गाजीपुर को भी इसी ऐप के माध्यम से जोड़ा था और उनको भी अपने घर पर बुलाकर डरा धमका कर वीडियो बनाया तथा पैसे की मांग किया तो रामप्रसाद ने अपने दोस्त से मेरे खाते में 5000/- रुपया भेजवाया। इसी तरह हम अपने साथियों के साथ अन्य लोगों को इसी एप के माध्यम से उन्हें जाल में फंसाकर अच्छी कमाई करते हैं और अपना खर्च चलाते हैं।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 506/2025 धारा 115(2), 308(5), 318(2), 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 710/2019 धारा 323,354,504,506 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर

<u>05. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 133/25 धारा 137(2), 64(1) बीएनएस व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को उ0नि0 लालता प्रसाद यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 133/25 धारा 137(2), 64(1) बीएनएस व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट में नामित अभियुक्त विरोध कुमार उर्फ चन्द्रेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश राम निवासी ग्राम महमूदपुर पाली थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष को पहाड़पुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1. विरोध कुमार उर्फ चन्द्रेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश राम निवासी ग्राम महमूदपुर पाली थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष।

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 133/25 धारा 137(2), 64(1) बीएनएस व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर